महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड

नियम और शर्तें

1. महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड तीन श्रेणियों में उपलब्ध है–

   1. सामान्य नागरिक 2. वरिष्ठ नागरिक 3. सुरक्षाकर्मी

2. महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड प्राप्त करने हेतु सामान्य नागरिकों के लिये 200/– रूपये, वरिष्ठ नागरिकों के लियें 100/– रूपये और सुरक्षाकर्मियों के लिये 100/– रूपये का योगदान करना होगा।
3. परिवार को छूट – 4 से 10 सदस्य (पति, पत्नि, पति के माता एवं पिता, पुत्र एवं पुत्रियाँ) प्रत्येक का योगदान 150/– रूपये।
4. अग्रेषण व डाक व्यय के रूप में रु. 75 प्रत्येक एकल कार्ड के लिये एवं रु. 50 समूह के प्रत्येक कार्ड के लिये कार्ड के योगदान के अतिरिक्त देय होगा।
5. हर 3 माह में प्रत्येक कार्ड धारक को वैद्य के साथ एक परामर्श निःशुल्क उपलब्ध होगा।
6. कार्ड की वैधता जारी होने की तिथि से दो वर्ष की होगी। दो वर्ष की अवधि के पश्चात् मात्र सौ रूपये के योगदान के साथ पुनः दो वर्षों के लिये कार्ड नवीनीकृत किया जायेगा।
7. कार्ड धारक को प्राधिकृत वैद्यों में से किसी भी एक से आनलाइन या ऑफलाइन परामर्श पर महा हर्बल औषधियाँ और ओ.टी.सी. उत्पादों पर 20 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा महर्षि वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र/क्लीनिक, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में/पाठ्यक्रमों/गोष्ठियों में और कार्यशालाओं में भी 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।
8. महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड होने का तात्पर्य, महर्षि वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा समय–समय पर विशेष सुविधा दिये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार प्रदान करना नहीं है।
9. महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिये आई. डी. कार्ड के रूप में उपयोग किये जाने के लिये नहीं है। यह कार्ड केवल महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर के कार्यक्रमों के लिये है।

10. वैद्यों का परामर्श या सलाह केवल रोगियों की सहायता करने और उन्हें राहत प्रदान करने के उत्तम आशय से है। कोई भी वैद्य या डॉक्टर किसी भी बीमारी की चिकित्सा करने की गारन्टी नहीं ले सकता है एवं यह अन्य सभी परामर्शो पर भी लागू होता है।

11. महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड, महर्षि वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा परामर्श की सटीकता, पूर्णता, सलाह, कथन एवं उसकी विश्वसनियता जो महर्षि वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र और उसकी वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित या वितरित है का प्रतिनिधित्व या समर्थन नहीं करता है। कार्ड धारक स्वीकार करेंगे कि किसी भी सलाह, विवरण, जानकारी पर कोई भी निर्भरता स्वयं के जोखिम पर होगा।

12. महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड धारकों को महानेचर्स एवं ब्लिस क्लोदिंगस् के कुछ चुने हुए उत्पादों पर 15 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।

13. महर्षि वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र समय–समय पर कुछ अन्य विक्रेताओं के साथ गठबन्धन या साझेदारी कर सकते हैं ताकि अन्य उत्पादों एवं सेवाओं को कार्ड धारकों के लिये सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि कार्ड धारक स्वीकार करते है एवं सहमति देते हैं कि महर्षि वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र को किसी भी तीसरे पक्ष के उत्पादों के सम्बन्ध में कोई क्लेम या दावों, उत्पादों एवं सेवाओं के लिये उत्तरदायी नहीं बनायेंगे। कार्ड धारक तीसरे पक्ष के उत्पादों, सेवाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा या अधिभार नही कर सकते।

14. ये नियम और शर्तें, कार्ड धारकों से इस सुविधा का उपयोग करने का अनुबन्ध भारत के कानून या विधि द्वारा शासित होगा। कार्ड धारक एतद् द्वारा सहमति व्यक्त करते हैं कि भोपाल, मध्य प्रदेश न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जो भी विवाद महा हेल्थ प्रिविलेज कार्ड के उपयोग के सम्बन्ध में उत्पन्न होगें, निर्णीत होगें।

15. महर्षि वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र किसी भी समय अद्यतन नियम और शर्तो, योगदान राशि व सूचना में संशोधन कर सकते हैं। कार्ड धारक का निरंतर कार्ड का उपयोग उसके समय–समय पर संशोधित अनुबंध के आधार पर वैध होगा, इसलिये समय समय पर तात्कालिक नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करते रहें।